भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2160
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

झूठे मामले दर्ज करने पर मुकदमे के खर्च की वसूली

2160. श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार झूठे मामले दर्ज करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार सख्त उपाय करने, जैसे मुकदमे के खर्च की वसूली और जुर्माना/सजा को दोगुना करने का है, ताकि देश की न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे व्यक्तियों द्वारा जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में कारावास/सजा का प्रावधान करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी नहीं । संविधान के उपबंधों के अधीन विधिक और संवैधानिक उपचार की गारंटी दी गई है । समस्या निवारण के लिए न्यायालयों तक पहुंच, सभी नागरिकों और विशेष रूप से सीमांत व्यक्तियों का अधिकार है, जो न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं ।

किसी मामले में पक्षकारों की दलीलों के अनुसार, यह न्यायालय को विनिश्चित करना है कि मामला/याचिका/वाद चलाने योग्य है या नहीं तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर क्या अनुतोष या अन्यथा अनुज्ञेय है । इसके अतिरिक्त, गुमराह मुवक्किलों द्वारा किए गए तुच्छ मुकदमों के निपटारे के लिए कतिपय विधियां हैं । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, धारा 35क मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकर के माध्यम से खर्च के संदाय का उपबंध करती है । और, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 250 के अधीन, यदि न्यायालय का विचार है कि आरोप लगाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है तो न्यायालय, आरोपी को प्रतिकर के सीधे संदाय का निदेश देने के लिए सशक्त है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 209 के अनुसार, जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक, या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से, न्यायालय में कोई

दावा करता है, जिसका मिथ्या होना उसे ज्ञात है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किये जाने के लिए दायी होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी तुच्छ मुकदमों/मिथ्या दावों को रोकने के लिए अपने आदेशों/निर्णयों के माध्यम से समय-समय पर कतिपय निदेश भी जारी किए हैं । न्यायालय इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जनहित याचिका के नाम पर कोई भी व्यक्ति, संगठन और संस्थाएं तुच्छ याचिकाएं दायर करके इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें । इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका, अभिलेख न्यायालयों द्वारा घोषित विधि का एक नियम है । तथापि, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति (या इकाई) को न्यायालय के समाधान के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका लोक हित में है और यह धनीय लाभ के लिए लाया गया कोई तुच्छ विधि वाद नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय ने, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल और अन्य (2010) 3 एससीसी 402 के मामले में, यह निर्णय दिया था कि जनहित याचिका की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित निदेश जारी करना अनिवार्य हो गया है :--

क. न्यायालयों को वास्तविक और प्रमाणिक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और अनावश्यक विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित और नियंत्रित करना चाहिए ।

ख. जनहित याचिका से निपटने के लिए प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह समुचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष प्रयोजनों से दायर की गई जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए । परिणामत:, हमारा अनुरोध है कि जिन उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर नियम बनाने चाहिए । प्रत्येक उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति**,** तैयार किए जाने के तुरंत पश्चात् इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए ।

ग. न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पूर्व प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के प्रत्ययपत्र का सत्यापन करना चाहिए ।

घ. जनहित याचिका पर विचार करने से पूर्व न्यायालय को याचिका की अंतर्वस्तु की सत्यता के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्ट होना चाहिए ।

ङ. याचिका पर विचार करने से पूर्व न्यायालय को पूर्णत: समाधान कर लेना चाहिए कि इसमें सारभूत लोक हित सम्मिलित है ।

च. न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस याचिका में व्यापक जनहित, गंभीरता और तात्कालिकता सम्मिलित हो, उसे अन्य याचिकाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

छ. जनहित याचिका पर विचार करने से पूर्व न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक लोक क्षति या लोक हानि का निवारण करना है । न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्देश्य या परोक्ष उद्देश्य नहीं है ।

ज. न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी और गुप्त उद्देश्यों के लिए व्यस्त निकायों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को अनुकरणीय खर्च वसूलकर या तुच्छ याचिकाओं और बाहरी

विचारों के लिए दायर याचिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए इसी तरह के नए तरीकों को अपनाकर हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 8 एससीसी 470 के मामले में यह निर्णय दिया था कि "भारतीय न्यायिक प्रणाली, तुच्छ मुकदमेबाजी से बुरी तरह प्रभावित है । मुवक्किलों को, निरर्थक और गैर-विचारणीय दावों के प्रति, उनके बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए, अर्थोपाय विकसित करने की आवश्यकता है । यह ध्यान में रखना होगा कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, हर गैरजिम्मेदार और मूर्खतापूर्ण दावे का, पीड़ित कोई निर्दोष होता है। जब तक मुक़दमा लंबित रहता है, वह बिना किसी अपनी गलती के, अधीरता और बेचैनी से लंबे समय तक चलने वाली परेशानियां झेलता है ।"।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने चारु किशोर मेहता बनाम प्रकाश पटेल और अन्य, एसएलपी (सी) सं0 11030/2022 के मामले में, तारीख 22.06.2022 के अपने आदेश में तारीख 13.06.2022 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की और कहा कि न्यायालय में तुच्छ मामले दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है । न्यायालय ने, याचिकाकर्ता पर 5 लाख का खर्च अधिरोपित करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को भी बरकरार रखा और विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया ।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एच. एस. बेदी बनाम एनएचएआई (एमएएनयू/डीई/0154/ 2016) के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अधीन समुचित मामलों में अभियोजन शुरू करने के लिए निचले न्यायालयों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं । उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई करने में न्यायालयों की अनिच्छा, वादियों को झूठे दावे करने के लिए प्रोत्साहित करती है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 209 में कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के अपराध के लिए दो वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माने का उपबंध है ।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय समय-समय पर मिथ्या और तुच्छ मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करते रहे हैं, इसलिए केंद्रीय सरकार के स्तर पर, इस प्रकम पर, कोई और कार्रवाई करने का विचार नहीं किया जा रहा है ।

****